हिन्दुस्तान
पटना • शनिवार • 23 जून 2018

रेरा में निबंधन नहीं कराने वाले बिल्डरों की खोज शुरू

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

सख्ती

- राज्यभर में सर्वे के लिए एजेंसियों से आवेदन मांगा रेरा ने
- एजेंसियां नगर निकाय और पंचायतों से भी संपर्क करेंगी

रेरा में निबंधन नहीं कराने वाले बिल्डर और डेवलपर अब छुपे नहीं रह सकते। संस्था ने अनिबंधित बिल्डरों की खोज शुरू कर दी है। इसके लिए सर्वे एजेंसियों को लगाया जाएगा। सर्वे के लिए इच्छुक एजेंसियों से आवेदन मांगा है। एजेंसी बहाल होते ही सर्वे का काम शुरू हो जाएगा।

रेरा में बहाल होने वाली सर्वे एजेंसी राज्य में काम करने वाले बिल्डरों और डेवलपरों का पता लगाएगी। इसके लिए वह नगर निकाय और पंचायतों से भी संपर्क करेगी। जहां से नक्शा पास होता है, वहां से भी प्रजेक्ट की सूची ली जाएगी। जो निबंधन कराये बिना प्रोजक्ट का निर्माण करेंगे उनके फ्लैट की रजिस्ट्री भी नहीं हो सकेगी। साथ ही ऐसे लोग देश के किसी कोने में दूसरा प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर पाएंगे। उनकी किसी परियोजना का नक्शा पास नहीं होगा। ऐसे बिल्डरों से फ्लैट खरीदने वालों को उस फ्लैट के लिए बैंक भी फाइनेंस नहीं कर सकते। अगर कोई बैंक अनिबंधित बिल्डरों के फ्लैट पर लोन देता है तो वह भी गलत काम को बढ़ावा देने का आरोपी होगा।

सर्वे के बाद अनिबंधित बिल्डरों और डेवलपरों की सूची देशभर में संबंधित संस्थानों को भेजी जाएगी। खास बात यह है कि ऐसी कंपनियों के जो भी निदेशक या दूसरे पदधारक होंगे वह अपने नाम से कोई दूसरी कंपनी भी नहीं बना सकेंगे। कंपनी को निबंधित करने वाले कार्यालयों में उनका नाम काली सूची में डाल दिया जाएगा।